

कार्यालय आदेश

विभाग अंतर्गत मुख्यालय में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उनके नियमित दायित्व के अतिरिक्त विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, सतत अनुश्रवण, समन्वय एवं प्रगति समीक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्न संबंधित जिला का नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	संबंधित जिला
1	2	3
2.	श्रीमती प्रीति सिन्हा, विशेष कार्य पदाधिकारी।	सिवान, सारण
3.	श्री वेदव्रत कुमार, संयुक्त ईखायुक्त।	पश्चिम चम्पारण (बगहा/लौरिया/हरिनगर चीनी मिल)
4.	श्री रेमन्त झा, संयुक्त निदेशक ईख विकास।	पश्चिम चम्पारण (मंझौलिया/नरकटियागंज चीनी मिल)
5.	श्री राजीव रंजन, अवर सचिव।	पूर्वी चम्पारण
6.	श्री राम नारायण कुमार, अवर सचिव।	सीतामढ़ी, शिवहर
7.	श्री सौरभ सिन्हा, ईख पदाधिकारी, पूर्णियाँ/मुजफ्फरपुर।	पूर्णियाँ, कटिहार, किशनगंज
8.	श्री मनोज कुमार चौधरी, सहायक निदेशक (शष्प), ईख विकास।	भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमुर
9.	सुश्री श्रेया सिंह, सहायक निदेशक (शष्प), योजना।	गोपालगंज
10.	सुश्री पल्लवी बिष्ट, सहायक निदेशक (शष्प), गुड़ विकास।	पटना, नालंदा, अरवल, जहानाबाद
11.	श्री राहुल त्रिपाठी, सहायक निदेशक (शष्प), ईख विकास।	मुजफ्फरपुर, वैशाली
12.	श्री बलबीर कुमार, सहायक निदेशक (शष्प), योजना।	समस्तीपुर, बेगुसराय, खगड़ियाँ
13.	श्री गौतम पटेल, सहायक निदेशक (शष्प), मुख्यालय।	दरभंगा, मधुबनी
14.	श्री कमलकान्त यादव, सहायक निदेशक (शष्प), गुड़ विकास।	गया, नवादा, औरंगाबाद
15.	श्री बांके बिहारी, सहायक निदेशक (शष्प), व्याधिविद, कार्यालय-उप निदेशक, ईख विकास, पटना सम्प्रति प्रतिनियुक्त मुख्यालय।	सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा
16.	श्री राहुल वर्मा, सहायक निदेशक (शष्प), कीटविद, कार्यालय-उप निदेशक, ईख विकास, पटना सम्प्रति प्रतिनियुक्त मुख्यालय।	मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा
17.	श्री रविकांत पटेल, सहायक निदेशक ईख विकास, जमुई सम्प्रति प्रतिनियुक्त मुख्यालय।	भागलपुर, बांका

2. नोडल पदाधिकारी संबंधित जिलांतर्गत विभागीय योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होंगे।

3. नोडल पदाधिकारी द्वारा स्थानीय पदाधिकारियों, चीनी मिलों एवं किसानों के साथ नियमित रूप से समन्वय स्थापित किया जायेगा।

4. नोडल पदाधिकारी संबंधित जिला का समय-समय पर भ्रमण कर भौतिक सत्यापन एवं लाभकों का फीडबैक प्राप्त करेंगे।

5. प्रस्ताव पर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

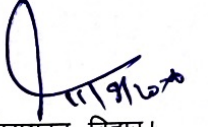

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/विकास-16355/2026- 1459/50000

पटना, दिनांक- 12 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि- संबंधित सभी पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, ईख विकास/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/महाप्रबंधक, सभी चीनी मिल/सचिव, बिस्मा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/विकास-16355/2026- 1459/50000

पटना, दिनांक- 12 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि- सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।